

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही
2. श्रीमती हेमलता पत्नी श्री धरमा राम, जाति-मेघवाल, निवासी-वाटेरा, तहसील-पिण्डवाडा, जिला-सिरौही

पंचायत निगरानी संख्या: 219/2020

“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से

-: निर्णय :-


दिनांक 03 जनवरी, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत निःशुल्क पट्टा जारी करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 को जारी पट्टा विलेख संख्या 14604 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरौही के क्षेत्राधिकार का होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरौही में प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर, सिरौही के आदेश क्रमांक:कोर्ट/2020/742-43 दिनांक 20.10.2020 से उक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित हुये, लेकिन अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण अप्रार्थी संख्या-2 का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 03.12.2021 को प्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ एवं अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 03.12.2021 को अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत,

....पेज दो पर




के.आर.खौड़
जिला कलक्टर
सिरौही (राज.)

वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जो विक्रय विलेख जारी कर निष्पादित किया है वह पूर्ण रूप से सही व नियमों के अनुरूप जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या-2 का पुराना आवासीय कब्जा था एवं पुराने कब्जे के आधार पर अप्रार्थी संख्या-2 प्रश्नगत आवासीय भूमि का नियम 157(2) के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखती थी। मौके पर प्रश्नगत पट्टे की भूमि का अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा आवासीय उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पुराने आवासीय उपयोग की भूमि का महिला मुखिया के नाम से निःशुल्क पट्टा जारी करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने बाद जांच नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि यदि फिर भी ग्राम पंचायत स्तर पर कोई अनियमितता या त्रुटि हुई है तो उसे किसी भी समय सुधारा जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कृत्य के लिये अप्रार्थी संख्या-2 को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि नियमों की पालना करने का दायित्व ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का था जिस पर अप्रार्थी संख्या-2 का कोई नियंत्रण नहीं था। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा ने निगरानी में अंकित कथनों के समर्थन में निगरानी आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके कारण प्रार्थी का निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले निगरानी आवेदन के प्रारूप में नहीं होकर विभागीय पत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में प्रस्ताव संख्या- 6 पारित कर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत निःशुल्क पट्टा जारी करने का निर्णय लेते हुए इस प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा विलेख संख्या 14604 दिनांक 08.6.2017 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झोंपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररूप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।


पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति एवं हल्का पटवारी, वाटेरा द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम
.....पेज तीन पर



अ
श्री केतन ओझा
विशेष अधिकारी

पंचायत, वाटेरा को उनके पत्र क्रमांक/2019-20/1150 दिनांक 2.10.2019 के क्रम में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02.10.2019 को प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या- 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत जिस भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया है, वह भूमि मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड अनुसार ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 439 रकबा 1.05 बीघा किस्म बा.IV राजकीय बिलानाम भूमि है। ग्राम पंचायत को राजकीय बिलानाम भूमि के पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत अप्रार्थी संख्या-2 को राजकीय बिलानाम भूमि का विधि विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा विलेख को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में पारित प्रस्ताव संख्या 6 एवं इस प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 14604 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



a
(के.आर.खौड़)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही